

इसे वेबसाईट [www.govtppressmp.nic.in](http://www.govtppressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसे प्र/पी.एस.जी.-07.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए सामाजिक न्याय विभाग द्वारा उपलब्ध करवाइ जाने वाली सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, सेवाएं निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत  
सामाजिक न्याय विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना	ग्रामीण क्षेत्र के लिए— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>नगरीय क्षेत्र के लिए—</b>						
		(अ) आयुक्त, नगर निगम 60 कार्य दिवस (ब) मुख्य नगरपालिका 60 कार्य दिवस	कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद	30 कार्य दिवस अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	संभागायुक्त कलेक्टर
7.2	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना	<b>ग्रामीण क्षेत्र के लिए—</b>	60 कार्य दिवस मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
<b>नगरीय क्षेत्र के लिए—</b>						
		(अ) आयुक्त, नगर निगम 60 कार्य दिवस (ब) मुख्य नगरपालिका 60 कार्य दिवस	कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद	30 कार्य दिवस अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	संभागायुक्त कलेक्टर
7.3	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना	<b>ग्रामीण क्षेत्र के लिए—</b>	60 कार्य दिवस मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
<b>नगरीय क्षेत्र के लिए—</b>						
		(अ) आयुक्त, नगर निगम 60 कार्य दिवस (ब) मुख्य नगरपालिका 60 कार्य दिवस	कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद	30 कार्य दिवस अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	संभागायुक्त कलेक्टर
7.4	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना	<b>ग्रामीण क्षेत्र के लिए—</b>	60 कार्य दिवस मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
<b>नगरीय क्षेत्र के लिए—</b>						
		(अ) आयुक्त, नगर निगम 60 कार्य दिवस (ब) मुख्य नगरपालिका 60 कार्य दिवस	कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद	30 कार्य दिवस अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	संभागायुक्त कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.5	राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान करना	<b>ग्रामीण क्षेत्र के लिए—</b> मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		<b>नगरीय क्षेत्र के लिए—</b> (अ) आयुक्त, नगर निगम (ब) मुख्य नगरपालिका	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस	संभागायुक्त कलेक्टर
			नगर परिषद			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**इकबाल सिंह बैंस,**  
प्रमुख सचिव